FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
प्रमोद कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचंद जाति महाजन (सरावगी) निवासी नांवा तहसील नावां जिला नागौर हाल निवासी उदयपुर।		हरिसिंह लम्बोरा उपखण्ड अधिकारी नांवा तहसील नागौर जिला नागौर

किस्म मुकदमा राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र **संख्या...** 18 **सन्** 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13.03.2018	प्रार्थी ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नांवा के यहां विचाराधीन प्रकरण सख्या 52/2014 माणकचंद बनाम सरकार को अन्यंत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। पत्रावली वास्ते बहस एडमिशन दिनांक 15.03.2018 को पेश हो। **जिला कलक्टर,नागौर**	
15.3.18	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की प्रकरण के एडमिशन के संबंध में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी नांवा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण मुकदमा नम्बर 52/2014 माणकचंद बनाम सरकार को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया की अधिनस्थ न्यायालय में वादी माणकचंद का आम मुख्त्यार जगदीश प्रसाद राजनैतिक पहूँचवाला प्रभावशाली व्यक्ति है, जो प्रार्थी की भूमि को जबरन हड़पना चाहता है तथा उसकी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के साथ उठ बैठ है तथा दोनों साथ ही गाड़ी मे आते जाते है। पेशी के दिन जगदीश प्रसाद पीठासीन अधिकारी के कमरे में बैठा रहता है। दिनांक 6.3.2018 को प्रार्थी को जगदीश प्रसाद ने कहा की तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस प्रकरण का फैसला मेरे पक्ष में होगा इत्यादि आक्षेप पीठासीन अधिकारी व जगदीश प्रसाद आदि पर लगाते हुऐ प्रार्थी के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र की मैरिट पर सुनवाई करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं तथाकथित जगदीश प्रसाद पर उपरोक्तानुसार लगाये गये आक्षेप के संबंध में प्रार्थी के शपथ पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसे ठोस आधार रहित प्रार्थना पत्रों पर अप्रार्थीगण की तलबी आदि जारी कर गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित किया जाना युक्ति संगत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में न्याय में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रकरण ग्राहय स्तर (Admission stage) पर खारिज किया जाता है। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। **(कुमार पाल गौतम)** **जिला कलक्टर नागौर**	